रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112023-250309
CG-DL-E-29112023-250309

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 685] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 29, 2023/अग्रहायण 8, 1945
No. 685] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 2023/AGRAHAYANA 8, 1945

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 868(अ).— केंद्र सरकार का लक्ष्य वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन प्रणाली (इसके पश्चात् आईपीएमएस के रूप में संदर्भित) का विकास करना है, जिसे एतद् पश्चात आईपीएमएस कहा जाएगा। आईपीएमएस कीटनाशी मूल्य श्रृंखला में मौजूदा अंतराल और समस्याओं को दूर करने में मदद करेगा। इसके अलावा, यह कीटनाशकों की आपूर्ति श्रृंखला की तत्काल निगरानी को सक्षम बनाने में भारत सरकार के प्रयासों में सहायता करेगा।

और राष्ट्रीय स्तर पर आईपीएमएस के विकास का प्रस्ताव 65वीं केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड की बैठक में पेश किया गया है। केंद्र सरकार की यह राय है कि यदि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिससे केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड के साथ परामर्श किए गए प्रस्ताव के अनुसार नियम बनाना आवश्यक हो गया है।

केन्द्रीय सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की

अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिनों की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो तीस दिनों की पूर्वोक्ति अवधि के समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में, किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में आक्षेपों और सुझावों को संयुक्त सचिव (पौध संरक्षण) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली – 110001 अथवा jspp-dac@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी संशोधन (नौवां संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) यह राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (इसके पश्चात् उक्त नियम के रूप में संदर्भित) निम्नलिखित में संशोधन किया जाएगा, अर्थात्-

(1) नियम 9 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) किसी भी कीटनाशक के निर्माण के लिए लाइसेंस देने के लिए लाइसेंसिंग अधिकारी को डिजिटल रूप में [फॉर्म II] में आवेदन किया जाएगा और प्रत्येक कीटनाशक के लिए दो हजार रुपये का शुल्क और उन सभी कीटनाशकों के लिए जिनके लिए लाइसेंस का आवेदन किया गया है अधिकतम बीस हजार रुपये का शुल्क देना होगा।"

(2) नियम 10 के उप-नियम (1) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्: -

"(1) कीटनाशकों को बेचने, स्टॉक करने या बिक्री के लिए प्रदर्शित करने या वितरित करने के लिए लाइसेंस देने के लिए आवेदन लाइसेंसिंग अधिकारी को डिजिटल रूप में [फॉर्म II] किया जाएगा और उप-नियम (2) में निर्दिष्ट शुल्क के साथ संलग्न किया जाएगा।"

(3) नियम 15 में,

(i) उप-नियम (2) में, वाक्यांश "कीटनाशक के अनुसार, एक रजिस्टर में (या तो भौतिक रूप में या डिजिटल रूप में) दर्ज किया जाएगा" को "डिजिटल रूप में कीटनाशक के अनुसार दर्ज किया जाएगा" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।"

(ii) उप-नियम (3) में, वाक्यांश "(या तो भौतिक रूप में या डिजिटल रूप में)" को "डिजिटल रूप में" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।"

(iii) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्रत्येक निर्माता या आयातक तकनीकी ग्रेड कीटनाशकों और फार्मूलेशन कीटनाशकों की बिक्री, निर्माण या आयात को डिजिटल रूप में बनाए रखेगा और लाइसेंसिंग अधिकारी को मासिक विवरण या रिटर्न महीने की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर क्रमशः फॉर्म III का परिशिष्ट डी 1 और फॉर्म III का परिशिष्ट डी 2 में जमा करेगा ।"

(4) नियम 24 में;

(i) उप नियम (3) में, शब्द "तीन प्रतियों में" को हटा दिया जाएगा।

(ii) उप-नियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम (4) डाला जाएगा;

"(4) उप-नियम (1) और (3) में बताए अनुसार रिपोर्ट की प्राप्ति और आपूर्ति डिजिटल रूप में की जाएगी।"

(5) नियम 25 में, उप-नियम 25(2) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान रखे जाएंगे:-

"परन्तु यह कि शुल्क का भुगतान डिजिटल रूप में किया जा सकता है।"

(6) नियम 27 के उप-नियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(6) नमूने लेने और स्टॉक जब्त करने सहित अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में उनके द्वारा किए गए सभी निरीक्षणों और की गई कार्रवाई का डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखना और ऐसे रिकॉर्ड को लाइसेंसिंग अधिकारी को प्रस्तुत करना ।"

(7) नियम 30 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"**30. स्टॉक का निपटान न करने के आदेश का प्रपत्र -** कीटनाशक निरीक्षक द्वारा एक आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को अपने कब्जे में किसी भी स्टॉक का निपटान न करने की आवश्यकता होती है, वह भौतिक या डिजिटल रूप में फॉर्म V (क) में होगा।"

(8) नियम 32 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"**32. जब्त किए गए कीटनाशक के लिए रसीद का फॉर्म**- जब्त किए गए किसी भी कीटनाशक के स्टॉक के लिए कीटनाशक निरीक्षक द्वारा रसीद फॉर्म V (ख) भौतिक या डिजिटल रूप में होगी।"

(9) नियम 33 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"**33. नमूने लेने के प्रयोजन के लिए सूचना का प्रपत्र-** जहां एक निरीक्षक परीक्षण या विश्लेषण के प्रयोजन के लिए कीटनाशक का एक नमूना लेता है, वह उस व्यक्ति को फॉर्म v (ग) में लिखित रूप में ऐसे उद्देश्य की सूचना देगा, जिस व्यक्ति से वह इसे भौतिक या डिजिटल रूप में लेता है ।"

(10) नियम 34 में, उप-नियम 34(1) के बाद निम्नलिखित प्रावधान रखे जाएंगे;

"परीक्षण या विश्लेषण के लिए प्रदान की गई सूचना डिजिटल रूप में जारी की जा सकती है।"

[फां. सं. 12032/02/2023-पीपी-1]

आशीष कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (पीपी)

नोट: मूल नियम, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1650 (अ), तारीख 19 अक्तूबबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. सं. 827 (अ) दिनांक 9 नवंबर, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधन किए गए।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2023

G.S.R. 868(E).—The Central Government aims for development of Integrated Pesticide Management System (herein after referred to as IPMS) at National level through the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India. The IPMS will help overcome the current gaps and issues faced in the pesticide value chain. Further, it will support the efforts of Government of India by enabling real-time monitoring of the supply chain of insecticides.

Whereas, the proposal for the development of IPMS at National level has been presented in the 65th Central Insecticides Board meeting. The Central Government is of the opinion that circumstances have arisen, which render it necessary to make the rules as per the proposal consulted with the Central Insecticide Board.

The following draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

The Objections or suggestions which may be received from any person in respect of the draft rules before the expiry of the aforesaid period of thirty days shall be considered by the Central Government.

Objections and suggestions in respect to the said draft rule may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001 or through email at jspp-dac@gov.in.

DRAFT RULES

1. **Short title and Commencement:** (1) These rules may be called the Insecticides (Ninth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred to as the said rules), the following shall be amended, namely-

(1) For sub-rule (1) of rule 9, following shall be substituted namely :-

"(1) Application for the grant of a licence to manufacture any insecticide shall be made in digital form [Form II] to the licensing officer and shall be accompanied by a fee of rupees two thousand for every insecticide and a maximum of rupees twenty thousand for all insecticides for which the licence is applied."

(2) For sub-rule (1) of rule 10, following shall be substituted namely :-

"(1) Applications for the grant of a licence to sell, stock or exhibit for sale or distribute insecticides shall be made in digital form [Form II] to the licensing officer and shall be accompanied by the fees specified in sub-rule (2)."

(3) In rule 15,

(i) In Sub-rule (2), the word phrase "shall be entered insecticide wise, in a register (either in physical form or digital Form)" shall be substituted by "shall be made insecticide wise in digital form."

(ii) In Sub-rule (3), the word phrase "(either in physical from or digital Form)" shall be substituted by "in digital form".

(iii) For Sub-rule (4), following shall be substituted namely :-

"Every manufacturer or importer shall maintain in digital form of such sale, manufacture or import of technical Grade Insecticide and formulated Insecticide and submit the monthly statement or return to the licensing officer, in Appendix D1 to Form III and Appendix D2 to Form III respectively within 15 days from the closing of the month."

(4) In Rule 24;

(i) In sub rule (3), the word "in triplicate" shall be omitted.

(ii) After Sub-rule (3), the following sub-rule (4) shall be inserted;

"(4) The receipt and supply of report as stated in sub-rule (1) and (3) shall be made in digital form."

(5) In Rule 25, after Sub-rule 25(2), the following proviso shall be inserted ;

"Provided further, the fee may be paid in the digital form."

(6) For sub-rule (6) of rule 27, following shall be substituted namely :-

"(6) to maintain digital record of all inspections made and action taken by him in the performance of his duties including the taking of samples and seizure of stocks and to submit such record to the licensing officer."

(7) For Rule 30, following shall be substituted namely:-

"**30. Form of order not to dispose of stock.**- An order by the Insecticide Inspector requiring a person not to dispose of any stock in his possession shall be in Form V(A) either in physical or digital form."

(8) For Rule 32, following shall be substituted namely:-

"**32. Form of receipt for seized insecticide.**- A receipt by an Insecticide Inspector for the stock of any insecticide seized shall be in Form V(B) either in physical or digital form."

(9) For Rule 33, following shall be substituted namely:-

"**33. Form of intimation for purpose of taking samples.-** Where an Inspector takes a sample of an insecticide for the purpose of test or analysis, he shall intimate such purpose in writing in Form V(C) to the person from whom he takes it either in physical or digital form."

(10) In Rule 34, after Sub-rule 34(1) the following proviso shall be inserted;

"Provided form of intimation for test or analysis may be issued in the digital form."

[F. No. 12032/02/2023-PP-I]

ASHISH KUMAR SRIVASTAVA, Jt. Secy. (PP)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1650 (E), dated the 19th October, 1971 and was amended vide G.S.R 827 (E) dated 9th November, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.11.29 21:57:02 +05'30'